643 निवेशकों ने पर्यटन योजनाओं के लिए लीज पर मांगी है भूमि

लखनऊ। कैबिनेट ने पर्यटन के क्षेत्र में निजी निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए भूमि लीज नीति- 2024 को मंजूरी दी है। प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 में पर्यटन क्षेत्र में लगभग डेढ़ लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इन 1,187 प्रस्तावों में से 643 प्रस्ताव के निवेशकों ने भूमि लीज पर आवंटित करने का अनुरोध किया है।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि इस नीति को हरी झंडी मिलने से नए निवेशकों को पर्यटन विकास से जुड़ी योजनाओं के लिए भूमि दी जा सकेगी। इस नीति में भूमि की सूची बनाकर भूमि बैंक के रूप में चिह्नित की जाएगी। छोटे भूखंडों को जहां है जिस स्थिति में है के आधार पर आवंटित किए जाएंगे। बड़े भूखंड पर यूनिट पार्सल के रूप में आवंटन के लिए प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर विस्तृत लेआउट तैयार किया जाएगा। दूसरे चरण में प्रस्तावों का तकनीकी मूल्यांकन किया जाएगा। पट्टा डीड पर हस्ताक्षर के 30 माह के अंदर प्रस्तावकों को सभी निर्माण गतिविधियां पूरी करनी होंगी। 30 माह के अंदर परियोजना पूरी नहीं होने पर पट्टा डीड स्वतः समाप्त हो जाएगी। ब्यूरो